न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौडगढ़
पीठासीन अधिकारीः– पंकज शर्मा, RAS

प्रकरण सं. 74/2019 वाद

शक्ति सिंह पिता गजराज सिंह राजपूत, आयु 40 साल, निवासी बिनोता, तहसील निम्बाहेड़ा।

– वादी

//बनाम//

1. गजराज सिंह पिता कैलाश सिंह राजपूत, आयु 70 साल, निवासी बिनोता, तहसील निम्बाहेड़ा।
2. ललित सिंह पिता गजराज सिंह राजपूत, आयु 35 साल, निवासी बिनोता, तहसील निम्बाहेड़ा।
3. भूपेन्द्र सिंह पिता गजराज सिंह राजपूत, आयु 38 साल, निवासी बिनोता, तहसील निम्बाहेड़ा।
4. राज. सरकार जरिये तहसीलदार, निम्बाहेड़ा।

– प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88 रा.का.अधि.
श्री जगदीश मेनारिया, अधिवक्ता वादी, उपस्थित

निर्णय दिनांक 11.06.2019

संक्षिप्त विवरण मामला इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88 रा0का0अधि0 का प्रस्तुत कर निवेदन किया की प्रतिवादी संख्या 1, वादी व प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के पिता हैं। पक्षकारान का सजरा निम्नानुसार है–

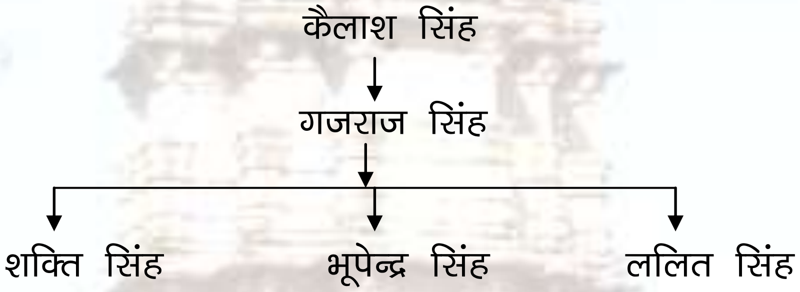

वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की पुश्तैनी व कब्जे काश्त की भूमि वाके मौजा बिनोता की खाता संख्या 115 की आराजी नं. 1482, 1484, 1485, 1486, 1487, 1488, 1489, 1493 व 1494 कुल किता 9 कुल रकबा 3.0600 हेक्टैयर तथा ग्राम कानपुरा की खाता संख्या 15 की आराजी नं. 23 रकबा 0.5400 हेक्टेयर व ग्राम कानपुरा की

खाता संख्या 16 की आराजी नं. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 181, 182 कुल किता 13 कुल रकबा 7.6800 हैक्टेयर भूमि स्थित है। वादी व प्रतिवादी संख्या 2 व 3 जगराज सिंह के यहां पुत्र के रूप में जन्म लेते ही हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के तहत 1/4, 1/4 हक हिस्से के अधिकारी हैं तथा इसी अनुसार काबिज काश्त हैं। वादी ने प्रतिवादीगण से अपना 1/4 हिस्सा इसी अनुसार अपने नाम दर्ज करवाने का निवेदन किया तो प्रतिवादीगण इन्कार हो गये इसलिए मजबुरन वादी को यह दावा घोषणा आराजीयात का प्रस्तुत करना पड़ रहा है। अतः वाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि विवादित भूमि में वादी का 1/4 हक हिस्सा घोषित किया जावे तथा इसी अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 से 3 का प्रत्येक का 1/4, 1/4 हक हिस्सा घोषित किया जाकर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण न्यायालय में स्वयं उपस्थित हुए तथा लोक अदालत की भावना से राजीनामा प्रस्तुत कर वादी का दावा राजीनामें अनुसार डिक्री किये जाने का निवेदन किया। राजीनामा बाद तस्दीक शामिल मिसल किया गया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। वादी ने अपने वाद पत्र साथ नकल जमाबन्दी संवत 2071-74 ग्राम बिनोता की खाता संख्या 115, नकल जमाबन्दी संवत 2073-76 ग्राम कानपुरा की खाता संख्या 16 एवं 15 की प्रमाणित प्रतियां प्रस्तुत की है। राजीनामें के साथ पक्षकारान ने मिलान क्षेत्रफल ग्राम बिनोता, नकल जमाबन्दी संवत 2054-57 ग्राम बिनोता की खाता संख्या 85 की प्रमाणित प्रति, ग्राम कानपुरा का मिलान क्षेत्रफल, नकल जमाबन्दी संवत 2055-58 ग्राम कानपुरा की खाता संख्या 10 की प्रमाणित प्रतियां प्रस्तुत की है। ग्राम कानपुरा की पुरानी जमाबन्दी में प्रश्नगत भूमि कैलाश सिंह पिता पृथ्वी सिंह राजपूत, निवासी बिनोता के नाम दर्ज रेकार्ड थी जो सजरे अनुसार वादी के दादा थे। इस प्रकार विवादित भूमि वादी व प्रतिवादीगण की पुश्तैनी साबित होती है। इसके अतिरिक्त पक्षकारान एक ही परिवार के सदस्य होकर पिता पुत्र व सगे भाई हैं जिन्होनें ने आपसी सहमति से विवाद का निस्तारण करते हुए राजीनामा प्रस्तुत किया है तथा तीनों पुत्रों व पिता का 1/4, 1/4 हक हिस्सा मानते हैं तथा इसी अनुसार प्रकरण का निस्तारण करने में सहमति प्रकट की है। विवादित भूमि चूंकि पुश्तैनी है तथा पक्षकारान एक ही परिवार के सदस्य होकर सहमत हैं तथा प्रतिवादी संख्या 1 जो रेकार्डेड खातेदार हैं, ने भी पुश्तैनी भूमि को अपने पुत्रों को समान हिस्से में दिये जाने में सहमति प्रकट की है, इसलिए वादी का दावा डिक्री योग्य है। राजीनामा स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी राजीनामें अनुसार कतई डिक्री किया जाता है। विवादित भूमि वाके मौजा बिनोता की खाता संख्या 115 की आराजी नं. 1482, 1484, 1485, 1486, 1487, 1488, 1489, 1493 व

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

1494 कुल किता 9 कुल रकबा 3.0600 हेक्टैयर तथा ग्राम कानपुरा की खाता संख्या 15 की आराजी नं. 23 रकबा 0.5400 हेक्टेयर व ग्राम कानपुरा की खाता संख्या 16 की आराजी नं. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 181, 182 कुल किता 13 कुल रकबा 7.6800 हैक्टेयर भूमि में वादी का 1/4, तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 3 का प्रत्येक का 1/4, 1/4 हक हिस्सा घोषित किया जाता है। उपर्युक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे। बैंक रहन यथावत रहेगा। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करें। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

आज दिनांक 11.06.2019 को सरे इजलास सुनाया जाकर कम्प्युटराईज कराया गया।

(पंकज शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

मूल वाद में अन्तिम डिक्री

न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी निम्बाहेड़ा

पीठासीन अधिकारीः– पंकज शर्मा, RAS

प्रकरण सं. 74/2019 वाद
शक्ति सिंह पिता गजराज सिंह राजपूत, आयु 40 साल, निवासी बिनोता, तहसील निम्बाहेड़ा।

– वादी

//बनाम//

1. गजराज सिंह पिता कैलाश सिंह राजपूत, आयु 70 साल, निवासी बिनोता, तहसील निम्बाहेड़ा।
2. ललित सिंह पिता गजराज सिंह राजपूत, आयु 35 साल, निवासी बिनोता, तहसील निम्बाहेड़ा।
3. भूपेन्द्र सिंह पिता गजराज सिंह राजपूत, आयु 38 साल, निवासी बिनोता, तहसील निम्बाहेड़ा।
4. राज. सरकार जरिये तहसीलदार, निम्बाहेड़ा।

– प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88 रा.का.अधि.

निर्णय दिनांक 11.06.2019

प्रकरण में वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री जगदीश मेनारिया एवं प्रतिवादीगण की उपस्थिति में पत्रावली अन्तिम बहस हेतु प्रस्तुत होने पर आदेश दिया जाता है कि वाद वादी राजीनामें अनुसार कतई डिक्री किया जाता है। विवादित भूमि वाके मौजा बिनोता की खाता संख्या 115 की आराजी नं. 1482, 1484, 1485, 1486, 1487, 1488, 1489, 1493 व 1494 कुल किता 9 कुल रकबा 3.0600 हेक्टैयर तथा ग्राम कानपुरा की खाता संख्या 15 की आराजी नं. 23 रकबा 0.5400 हेक्टेयर व ग्राम कानपुरा की खाता संख्या 16 की आराजी नं. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 181, 182 कुल किता 13 कुल रकबा 7.6800 हैक्टेयर भूमि में वादी का 1/4, तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 3 का प्रत्येक का 1/4, 1/4 हक हिस्सा घोषित किया जाता है। उपर्युक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे। बैंक रहन यथावत रहेगा। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करें।

यह आज तारीख 11.06.2019 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(पंकज शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी,
निम्बाहेड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Sharma
Date: 2020.02.17 17:20:09 IST
Reason: SelfAttested
Location: